

पीठ:- एस.एस. संधावालिया, मुख्य न्यायाधिपति और आई.एस. टिवाना, न्यायाधिपति

बाटा इंडिया लिमिटेड- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य- प्रत्यर्थागण

सिविल रिट याचिका संख्या 5503 of 1982

अगस्त 2, 1983

हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम (XX of 1973), जैसा कि हरियाणा अधिनियम 3 of 1983 द्वारा संशोधित किया गया- धारा 9- भारत का संविधान 1950, जैसा कि संविधान (46 वां संशोधन) अधिनियम, 1982 द्वारा संशोधित किया गया- अनुच्छेद 269 और सातवीं अनुसूची की सूची। की प्रविष्टि 92-बी और सूची II की प्रविष्टि 54- एक व्यापारी द्वारा राज्य के बाहर अपने स्वयं के डिपो या एजेंट को निर्मित वस्तुओं का प्रेषण- ऐसा प्रेषण- क्या वह 'अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की खेप' के बराबर होगा, जैसा कि सूची I की प्रविष्टि 92-बी में परिकल्पित है- हरियाणा अधिनियम की धारा 9(1)(b) जो बिक्री के अलावा अन्य किसी माध्यम से राज्य के बाहर निर्मित वस्तुओं के प्रेषण पर कर लगती है- क्या असंवैधानिक है- राज्य विधानमंडल- क्या ऐसा प्रावधान बनाने के लिए सक्षम है- संसद- क्या इस संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 269 के शीर्षक के केवल संदर्भ से यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसके खंड (1) में वर्णित कर वे हैं जो भारत संघ द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं। ये कानून के ऐसे क्षेत्र हैं जो विशेष रूप से केंद्रीय क्षेत्र में हैं। अनुच्छेद 269 के खंड (1) के उपखंड (ए) से (एफ) का संदर्भ फिर से उस कराधान की प्रकृति का संकेत है जो संघ द्वारा अधिरोपण और संग्रह के लिए निर्धारित किया गया है परन्तु बाद में राज्यों को सौंपा जाना है। मूलभूत सार में, अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की खेप पर कर लगाने की शक्ति और उसके सभी सहायक या पूरक मामले

अब विशेष रूप से संघ के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। पुनः खंड (एच) और प्रविष्टि 92-बी में प्रयुक्त भाषा महत्वपूर्ण है। यह अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को माल की खेप के संदर्भ में बात करता है। इसलिए, संस्थान की एक शाखा से अन्य राज्यों में उसकी अन्य शाखाओं में खेप का विशिष्ट मामला विशेष रूप से इन प्रावधानों के अन्तर्निहित है और संघ के क्षेत्र के लिए आरक्षित है। अनुच्छेद 269 के खंड (3) में लाए गए संशोधन के अनुसार, संसद को यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांत तैयार करने का अधिकार दिया गया है कि अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की खेप कब होती है। अनिवार्य रूप से, अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की खेप के रूप में क्या माना जाना चाहिए, इस बारे में परीक्षणों के निर्माण सहित पूरा मामला अब संसदीय क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि अब संसद के पास, यदि वह चाहे तो, माल की खेप की अवधारणा को बढ़ाने या विस्तारित करने की शक्ति है। प्रविष्टि 92-बी के आधार पर, संघ को अब न केवल सख्ती से माल की खेप पर कर लगाने की शक्ति प्राप्त है अपितु उक्त शक्ति समान रूप से सभी सहायक और अनुपूरक क्षेत्रों के साथ-साथ उक्त क्षेत्र में राज्य विधानमंडल के बहिष्कार को शामिल करेगी। इस प्रकार, छियालिसवें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 269 में किए गए संवैधानिक संशोधनों को संघ सूची में प्रविष्टि 92-बी के सम्मिलन के साथ पढ़ा जाने पर, इस बात में कोई संदेह नहीं होगा कि अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तुओं की खेप 'स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को' पर कर का विधायी क्षेत्र और सभी सहायक और पूरक या परिणामी मामले, अब विशेष रूप से संसदीय विधान क्षेत्र के लिए आरक्षित घोषित किए गए हैं और राज्य विधायिका द्वारा इस क्षेत्र में किसी भी तरह का घुसपैठ स्पष्ट रूप से वर्जित है।

(जिम्मन 18, 19, 20 और 21)

अभिनिर्धारित किया गया कि किसी विनिर्माता द्वारा राज्य के बाहर अपनी किसी शाखा में माल भेजे जाने के मामले में, यह स्वयंसिद्ध प्रतीत होता है कि प्रेषक द्वारा माल का ऐसा प्रेषण माल की बिक्री नहीं है और वास्तव में ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में, संक्षेप में, जो होता है, वह माल को

एक स्थान से दूसरे स्थान पर या संक्षेप में एक ही मालिक की एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरित करने के अलावा और कुछ नहीं है। माल के स्वामित्व में कोई दूरस्थ परिवर्तन नहीं होता है और समान रूप से, वास्तविक मालिक द्वारा उक्त माल पर नियंत्रण या बाद में उन्हें निपटाने की क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्वामित्व और नियंत्रण की बुनियादी घटनाओं में किसी भी बदलाव के बिना केवल माल की भौतिक स्थिति में एक बदलाव होता है। अधिनियम 3 of 1983 द्वारा संशोधित हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 9(1)(बी) के प्रावधानों में, वास्तविक कराधान घटना अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से राज्य के बाहर एक स्थान पर निर्मित माल का प्रेषण है। उपर्युक्त प्रेषण और निर्माता द्वारा अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को माल के आवंटन के बीच कोई अंतर नहीं है। दो स्थितियाँ और इसके लिए प्रयुक्त वाक्यांश लगभग समान और पर्यायवाची हैं। अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल का प्रेषण, अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान ऐसी वस्तुओं की खेप के लिए एक अन्य नाम है और सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला वाक्यांश अपनी व्यापक अवधारणा में एक दूसरे का पर्याय है। इसलिए, एक बार अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल का प्रेषण और अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की खेप, चाहे स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को, कानूनी समकक्ष हैं, तो सूची 1 की प्रविष्टि 92-बी के आधार पर, इस तरह के लेन-देन पर कर लगाने की विधायी क्षमता विशेष रूप से संसद में निहित है। इस प्रकार व्यापक संदर्भ पर, प्रत्येक माल की खेप, चाहे उसका कोई भी नाम है, उस पर कर अब भारत संघ द्वारा लगाए जाने के लिए आरक्षित है। हालांकि, हरियाणा अधिनियम की धारा 9(1)(बी) के संशोधित प्रावधान द्वारा हरियाणा राज्य के बाहर के स्थानों पर विनिर्मित वस्तुओं के प्रेषण पर अधिरोपण की आड़ में एक समान कर लगाने का प्रयास किया गया है और इसलिए, यह भारत संघ द्वारा कराधान के लिए विशेष रूप से आरक्षित क्षेत्र में घुसपैठ और अतिचार करता है। अतः यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि 'अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री के अलावा किसी अन्य तरीके से राज्य के बाहर किसी स्थान पर माल का केवल प्रेषण' संविधान के अनुच्छेद 269(1)(एच) और सातवीं

अनुसूची की सूची। की प्रविष्टि 92-ख में विनिर्दिष्ट 'अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान इसे बनाने वाले व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को माल की खेप' का पर्याय है या किसी भी मामले में इसके दायरे में शामिल है। नतीजतन, माल के ऐसे प्रेषण या खेप पर बिक्री या खरीद कर का उद्ग्रहण और उसके सहायक या पूरक मामले राज्य विधानमंडलों के पूर्ण अपवर्जन के लिए संसद की अनन्य विधायी क्षमता के भीतर होंगे। एक बार ऐसा होने पर, हरियाणा अधिनियम की धारा 9(1)(बी) का उपबंध जहां तक वह अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान राज्य के बाहर माल की खेप पर खरीद कर लगाता है, हरियाणा राज्य की विधायी क्षमता से परे है और इसलिए यह शून्य और निष्क्रिय है। इस प्रकार अधिनियम 3 of 1983 द्वारा अधिनियम की धारा 9(1)(बी) में प्रस्तुत संशोधन असंवैधानिक है।

(जिम्मन 26, 27, 41 और 42).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन संशोधित याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि यह माननीय न्यायालय :-

(i) आक्षेपित आदेश, अनुलग्नक पी/1, अधिसूचना, अनुलग्नक पी/2, और नोटिस, अनुलग्नक पी/3 से संबंधित प्रत्यर्थागण के अभिलेख को तलब कर; और उसी के सावधानीपूर्वक अवलोकन के पश्चात् उत्प्रेषण-लेख की प्रकृति में एक रिट जारी कर, आक्षेपित आदेश, अनुलग्नक पी/1 अधिसूचना, अनुलग्नक पी/2 और नोटिस, अनुलग्नक पी/3 को रद्द किया जाए;

(i-a) संशोधन अधिनियम द्वारा यथासंशोधित हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 को विधि द्वारा शून्य और निष्क्रिय घोषित करने के लिए एक उपयुक्त रिट, आदेश या घोषणा और ऐसे परमादेश के लिए कि प्रत्यर्थागण यथासंशोधित हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों को लागू ना करे ना ही किसी भी प्रकार से प्रभाव दे ना ही उसके अनुसार कार्य करें;

(ii) राज्य अधिनियम की धारा 46 को संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार से बाहर घोषित करना;

(iii) यह घोषित करना कि अधिसूचना (अनुलग्नक पी/2) राज्य अधिनियम के अधिकार से बाहर है या वैकल्पिक घोषणा में अधिसूचना याचिकाकर्ता-कंपनी पर बिल्कुल भी लागू नहीं है;

(iii-a) हरियाणा सामान्य बिक्री कर (संशोधन और सत्यापन) अधिनियम, 1963 को असंवैधानिक, विधि में निष्क्रिय, शून्य और हरियाणा राज्य की विधायी अक्षमता से परे घोषित करने के लिए एक उपयुक्त रिट, आदेश या घोषणा। वैकल्पिक रूप से और उपर्युक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संशोधन अधिनियम की धारा 3 और धारा 8 को असंवैधानिक, शून्य, अवैध घोषित करने के लिए उपयुक्त रिट, आदेश या घोषणा और प्रत्यर्था, उसके अभिकर्ता/सेवकों/कर्मचारियों को किसी भी तरह से उक्त संशोधन अधिनियम को लागू करने से रोकने के लिए परमादेश की रिट जारी करना;

(iii-b) यह जारी करने के लिए एक उपयुक्त रिट, आदेश या घोषणा कि अधिनियम की धारा 9(1)(b), (bb) जैसा कि संशोधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित है और 19 जुलाई, 1974 की अधिसूचना संशोधन जैसा कि अधिनियम की धारा 8 द्वारा मान्य है, भी याचिकाकर्ता पर लागू नहीं होती है;

(iv) परमादेश की प्रकृति में एक रिट या उपयुक्त रिट जारी कर प्रत्यर्थागण को 1,73,02.51 रुपए की राशि को वापस करने हेतु आदेशित/निर्देशित करें जो कि याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा कानून की गलती के तहत प्रत्यर्थागण को खरीद कर के रूप में भुगतान की गई थी;

(v) इस रिट याचिका के अंतिम निस्तारण तक जारी किए गए नोटिस, अनुलग्नक पी/3 के संचालन पर रोक लगाने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित करें;

(vi) प्रत्यर्थागण पर नोटिस ऑफ़ मोशन की पूर्व तामील से इस कारण छूट दी जाए क्योंकि यदि इस पर जोर दिया जाता है, तो इस रिट याचिका को दायर करने का उद्देश्य ही विफल होगा;

(vii) कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जो कि यह माननीय न्यायालय इस मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे;

(viii) इस रिट याचिका के साथ संलग्न दस्तावेज अनुलग्नक पी/1 से पी/4 की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने से छूट;

(ix) याचिकाकर्ता कंपनी को इस रिट याचिका का खर्चा दिलाया जाए।

उपस्थित:-

याचिकाकर्ता की ओर से वाई.एस. चिटले, वरिष्ठ अधिवक्ता(अधिवक्तागण आर.एन. नरूला, एम.मुद्गिल, अनिल शर्मा और पी.एस. सैनी के साथ)।

प्रत्यर्थागण की ओर से हरभगवान सिंह, महाधिवक्ता, हरियाणा और अधिवक्ता अरुण वालिया।

निर्णय

एस.एस. संधावालिया, मुख्य न्यायाधिपति

1. क्या विनिर्मित वस्तुओं को राज्य के बाहर किसी स्थान पर भेजना, "अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की खेप" का पर्याय या अनुरूप है, जैसा कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची संख्या 1 की प्रविष्टि संख्या 92(बी) में निर्दिष्ट है (हाल ही में संविधान (46 संशोधन) अधिनियम, 1982 की धारा 5 द्वारा सम्मिलित) और इसलिए, अब कुल कर लगाना, राज्य विधानमंडल की क्षमता का बहिष्कार कर, केवल संसद की विधायी क्षमता के भीतर है, 21 रिट याचिकाओं के इस सेट में महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में सामने आया है।

2. जिस पृष्ठभूमि में यह मुद्दा उठाया गया है, उसमें शुरुआत में ही एक संक्षिप्त विवरण की आवश्यकता है। हरियाणा राज्य ने, हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम (इसके बाद "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 9 के तहत अपनी शक्ति का कथित प्रयोग करते हुए, 19 जुलाई, 1974 को अधिसूचना, अनुलग्नक पी-2, जारी की थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विनिर्मित वस्तुओं को निर्माता द्वारा उसकी शाखा या कमीशन एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति को राज्य के बाहर किसी स्थान पर भेजने पर कर का अधिरोपण भी शामिल था। इस अधिरोपण का इस न्यायालय में कई निर्माताओं ने विरोध किया और अंततः, गुडइयर इंडिया लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य¹ के मामले में एक खण्ड पीठ ने उपर्युक्त

¹ 1983 R.L.R 68

अधिसूचना को अधिनियम की धारा 9 के दायरे से बाहर बता कर अपास्त कर दिया। उक्त निर्णय के प्रभाव को खत्म करने के लिए, हरियाणा के राज्यपाल ने 13 जनवरी, 1983 को अध्यादेश संख्या 1 of 1983 जारी किया, जिसके अन्तर्गत अधिनियम की धारा 9 को पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित किया जाना चाहा गया ताकि इसके दायरे में बिक्री के अलावा निर्मित वस्तुओं को किसी अन्य तरीके से राज्य के बाहर एक स्थान पर प्रेषण किए जाने को शामिल किया जा सके और आक्षेपित अधिसूचना, अनुलग्नक पी-2, को भी मान्य किया गया था। इस बीच, संविधान (46वाँ संशोधन) अधिनियम, 1982, जो बहुत पहले पारित किया गया था, 2 फरवरी, 1983 से लागू किया गया। जिससे अन्य बातों के साथ-साथ संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 में प्रविष्टि संख्या 92(बी) भी सम्मिलित की गई थी। इसके और संविधान (46वाँ संशोधन) अधिनियम, 1982 के अन्य प्रावधानों के सार्थक प्रभाव के लिए इसके बाद विस्तृत सूचना की आवश्यकता होगी। बाद में, हरियाणा सामान्य बिक्री कर (संशोधन और मान्यता) अधिनियम, 1983 (हरियाणा अधिनियम संख्या 3 of 1983), हरियाणा विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था और 31 मार्च, 1983 से लागू किया गया। उक्त अधिनियम ने पहले के अध्यादेश को प्रतिस्थापित और निरस्त कर दिया। वर्तमान रिट याचिकाओं में अन्य बातों के साथ-साथ संशोधित हरियाणा अधिनियम संख्या 3 of 1983 को चुनौती दी गई है, जिसमें विशेष रूप से राज्य के बाहर किसी स्थान पर बिक्री के अलावा किसी अन्य माध्यम से विनिर्मित वस्तुओं के प्रेषण पर कर लगाने का उल्लेख है, जिसमें निर्माता द्वारा उसकी शाखाओं और कार्यालयों में किया जाने वाला प्रेषण भी शामिल है और समान रूप से पूर्व अधिसूचना (अनुलग्नक पी-2) की मान्यता और उसके तहत की गई कार्रवाई को चुनौती दी गई है।

3. तथ्यात्मक विवाद एक संकीर्ण दिशा में निहित है और गंभीर विवाद में नहीं है, और सिविल रिट याचिका संख्या 5503/1982 से भी नोटिस किया जा सकता है। मेसर्स बाटा इंडिया लिमिटेड विभिन्न प्रकार के जूतों के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगी एक प्रसिद्ध कंपनी है और इसकी हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में एक विनिर्माण इकाई है। इसके विभिन्न डिपो और शाखाएं पूरे देश के साथ-साथ हरियाणा राज्य में भी फैली हुई हैं। यह कहा गया है कि हरियाणा राज्य में कैनवास जूते के निर्माण के लिए, याचिकाकर्ता-कंपनी हरियाणा राज्य के बाहर विभिन्न डीलरों से रबर खरीदती है। हालाँकि, हरियाणा

राज्य के भीतर, यह अंतिम उत्पाद (निर्मित जूतों के) की पैकिंग के लिए पैकिंग सामग्री खरीदती है और चिकनाई वाला तेल खरीदती है, जिसका उपयोग विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान मशीनों में किया जाता है। यह तर्क है कि याचिकाकर्ता-कंपनी उपरोक्त पैकिंग सामग्री और चिकनाई वाले तेलों को छोड़कर हरियाणा राज्य के भीतर कोई अन्य कच्चा माल नहीं खरीदती है।

4. निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए, प्रत्यर्थी-आकलन प्राधिकारी, अंबाला कैंट ने अधिनियम की धारा 9 के तहत शक्ति के कथित प्रयोग के तहत जारी अधिसूचना, अनुलग्नक पी-2, दिनांक 19 जुलाई, 1974 के आधार पर अपने आदेश दिनांक 16 दिसंबर, 1980 द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ विनिर्मित वस्तुओं पर खरीद कर लगाया, जिसे कंपनी द्वारा हरियाणा राज्य के बाहर अपने डिपो में स्थानांतरित कर दिया गया था। कर निर्धारण प्राधिकारी ने आदेश अनुलग्नक पी/1 के माध्यम से आगे निर्देशित किया कि धारा 25(5), 46, 47 और 50 के तहत याचिकाकर्ता को यह नोटिस जारी किया जाए कि देय कर जमा न करने पर ब्याज क्यों न लगाया जाए और साथ ही ऊपर उल्लिखित धाराओं के तहत जुर्माना क्यों न लगाया जाए। उक्त निर्देशों के अनुसरण में, निर्धारण प्राधिकारी ने इसके पश्चात् नोटिस अनुलग्नक पी/3 जारी किया।

5. कर लगाने और कथित रूप से इसे अधिकृत करने वाली अधिसूचना पर हमला करते हुए, याचिकाकर्ता-कंपनी का तर्क यह है कि कैनवास जूते, जो कि अंतिम उत्पाद है उसके निर्माण में न तो पैकिंग सामग्री और न ही चिकनाई वाला तेल खरीदा जाता है ना ही सख्ती से इनका उपयोग किया जाता है। यह दावा है कि अधिनियम की धारा 9 और कानून के तहत जिस वस्तु पर कर लगाने का विकल्प चुना गया है, वे अंतिम उत्पाद के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्रियां हैं, ना कि केवल निर्माण में नियोजित की जाने वाले वस्तु। यह इंगित करने का प्रयास किया गया है कि कैनवास जूते बनाने के लिए नियोजित मशीनरी को चलाने के लिए चिकनाई वाला तेल का उपयोग उनके निर्माण में नहीं किया जाता है, अपितु विशुद्ध रूप से उसके लिए नियोजित विनिर्माण प्रक्रिया के लिए किया जाता है और परिणामस्वरूप यह अंतिम उत्पाद का अभिन्न अंग या घटक नहीं है। इसी प्रकार, जूतों के लिए पैकिंग सामग्री, उदाहरण के

तौर पर कार्डबोर्ड बक्से या प्लास्टिक रैपिंग को ऐसी सामग्री के रूप में रेखांकित किया गया है जिसका उपयोग कैनवास जूतों के निर्माण में दूर-दूर तक सख्ती से नहीं किया जाता है।

6. फिर से कानूनी पहलू के संबंध में, यह तर्क है कि निर्माता द्वारा हरियाणा राज्य के बाहर अपने स्वयं के डिपो में स्थानांतरित किया गया सामान धारा 9(1)(b) के असंशोधित प्रावधानों और अधिसूचना, अनुलग्नक पी/2, जिसे इसके तहत जारी किया जाना बताया गया है, के अंतर्गत नहीं था। यह बताया गया है कि उक्त अधिसूचना को खण्ड पीठ ने गुडइयर इंडिया लिमिटेड(उपर्युक्त) के मामले 1983 आरएलआर 68 में रद्द कर दिया था। धारा 9.....

7. संशोधित याचिका पर प्रत्यर्था-राज्य की ओर से दायर कुछ हद तक विस्तृत जवाब में, रिट याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध अपील और संदर्भ के वैकल्पिक उपायों के आधार पर प्रारंभिक आपत्तियां उठाई गई हैं। जाहिर तौर पर रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से हरियाणा विधानमंडल की विधायी क्षमता को विवादित कानून बनाने और उसकी संवैधानिकता को दी गई चुनौती के मद्देनजर इस पर गंभीरता से दबाव नहीं डाला गया।

8. मिश्रित प्रश्न को छोड़कर व्यापक तथ्यात्मक पृष्ठभूमि गंभीर विवाद में नहीं है कि निर्मित वस्तुओं की पैकिंग के लिए उपयोग की जाने वाली पैकिंग सामग्री को स्वयं निर्मित वस्तुओं का हिस्सा माना गया है। यह स्वीकार किया जाता है कि लागू किया गया अध्यादेश और उसके बाद 1983 का हरियाणा अधिनियम संख्या 3 of 1983 दोनों गुडइयर इंडिया लिमिटेड(उपर्युक्त) के मामले में खण्ड पीठ के निर्णय के मद्देनजर अधिनियमित किए गए थे, ताकि उक्त निर्णय के प्रभाव को खत्म किया जा सके, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि एक निर्माता द्वारा राज्य के बाहर अपनी स्वयं की किसी शाखा में माल का स्थानांतरण, "निपटान करता है" शब्दों के अंतर्गत नहीं आता है और परिणामस्वरूप अधिसूचना, अनुलग्नक पी/2, अधिनियम की धारा 9 और 15 के दायरे से बाहर थी। प्रत्यर्थागण के तर्क की गंभीरता यह है कि संशोधित अधिनियम द्वारा, अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री के अलावा किसी भी तरीके से राज्य के बाहर किसी स्थान पर विनिर्मित वस्तुओं के प्रेषण को अधिनियम की धारा 9(1)(बी)

में संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से कानून के दायरे में लाया गया है। दावा है कि इस संशोधन के मद्देनजर, गुडईयर इंडिया लिमिटेड(उपर्युक्त) के मामला का निर्णय अब आकर्षित नहीं होता है और किसी भी मामले में अब अच्छा कानून नहीं है। विधायी क्षमता के संबंध में प्रत्यर्थीगण की बुनियादी निर्भरता सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि संख्या 54 से प्राप्त की गई है। यह दोहराया जाता है कि हरियाणा विधानमंडल उपरोक्त प्रविष्टि के आधार पर हरियाणा राज्य के बाहर माल की खेप या प्रेषण की लेन-देन पर कानून बनाने और उस पर कर लगाने के लिए सक्षम है। यह कहा गया है कि इस शक्ति का प्रयोग किसी भी तरह से व्यापार की स्वतंत्रता से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 301 से 305 का उल्लंघन नहीं करता है, न ही यह अनुच्छेद 14 और 19(1)(जी) सहित किसी अन्य संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करता है। अधिनियम के तहत जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र पर भी भरोसा करने की मांग की गई है, जिसमें रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जारी किया गया प्रमाण पत्र भी शामिल है और यह तर्क दिया जाना चाहा गया है कि राज्य के बाहर माल का प्रेषण इसकी शर्तों का उल्लंघन होगा। प्रत्यर्थी-राज्य की देय कर पर ब्याज का दावा करने और कर जमा करने में कथित विफलता के लिए जुर्माना लगाने की शक्तियों को आवश्यक परिणामी प्रावधानों के रूप में दोहराया जाता है। हरियाणा विधानमंडल की कानून बनाने की क्षमता और अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री के अलावा अन्य किसी माध्यम से राज्य के बाहर स्थानों पर विनिर्मित वस्तुओं के प्रेषण को बिक्री कर के दायरे में लाने के विशेष संदर्भ में इसकी वैधता पर भी जोरदार ढंग से जोर दिया जाता है।

9. अब, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, चुनौती के विभिन्न आधारों में से, रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता डॉ. चितले ने अधिनियम की धारा 9(1)(बी) के संशोधन (और अधिसूचना की मान्यता और उसके तहत की गई परिणामी कार्रवाई) के विरुद्ध अपने तर्कों को हरियाणा विधानमंडल की विधायी क्षमता की अनुपस्थिति के आधार पर जोर दिया है। यह हाल ही में अधिनियमित संविधान (46वाँ संशोधन) अधिनियम, 1982 (इसके बाद इसे "46वाँ संशोधन" कहा जाएगा) और विशेष रूप से अनुच्छेद 269 में किए गए संशोधनों और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I में प्रविष्टि संख्या 92-बी के सम्मिलन पर दृढ़ता से आधारित है। विवाद का मूल यह है कि अधिनियम की धारा 9(1)(b) में विवादित

संशोधन, सार में, अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी निर्माता द्वारा स्वयं को माल की खेप भेजने पर कर लगाता है और इसलिए, 46वें संशोधन के आधार पर और मुख्य रूप से प्रविष्टि संख्या 92-बी के कारण, माल की खेप पर ऐसा कर लगाने की शक्ति राज्य विधानमंडलों की अपेक्षा अब पूर्ण रूप से संसदीय कानून क्षेत्र में है। नतीजतन, हरियाणा विधानमंडल अब आक्षेपित संशोधनों द्वारा इस तरह का कर लगाने की विधायी शक्ति से वंचित हो गया है।

10. उपर्युक्त विवाद का दोहरा पहलू है- 46वें संशोधन से पहले की संवैधानिक स्थिति और उसके बाद की स्थिति। हालाँकि, चूंकि यह स्वीकृत स्थिति है कि विवादित हरियाणा अधिनियम संख्या 3 of 1983 को 2 फरवरी, 1983 को 46वें संशोधन के लागू होने के पश्चात् 31 मार्च, 1983 को अधिनियमित किया गया था, इसलिए मूल ध्यान 46वें संशोधन के बाद मौजूदा संवैधानिक स्थिति और इस विषय पर हरियाणा विधानमंडल की विधायी क्षमता की कथित अनुपस्थिति पर आधारित विवाद पर सबसे पहले दिया जाना चाहिए।

11. जैसा कि अब स्पष्ट है, रिट याचिकाकर्ताओं की विशेष चुनौती 46वें संशोधन द्वारा संविधान में किए गए कुछ विशिष्ट परिवर्तनों पर टिकी हुई है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से उद्धृत करने और उन पर ध्यान देने से पूर्व, बड़ा सवाल जो सबसे पहले विचार के लिए आता है, वह यह है कि इन संशोधनों को लाने में संसद का असली इरादा क्या था, विशेष रूप से, अनुच्छेद 269(1) में उप-खंड (एच) को सम्मिलित करना [और उसके खंड (3) में किया गया परिवर्तन] साथ ही सूची। में प्रविष्टि संख्या 92-बी। चूंकि यह एक संवैधानिक परिवर्तन है जिसकी हमें व्याख्या करनी है, जाहिर तौर पर यह अभ्यास किसी संकीर्ण अलगाववाद में नहीं अपितु बहुत व्यापक स्पेक्ट्रम पर किया जाना है। शायद, एक संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में हेडॉन के मामले का प्रसिद्ध नियम और भी अधिक जोश के साथ आकर्षित होता है। इसलिए, सबसे पहले यह बारीकी से जांच करनी चाहिए कि छियालीसवें संशोधन से पहले संविधान के मौजूदा प्रावधान क्या थे। उसमें उस शरारत या दोष की तलाश करनी चाहिए जिसके लिए उसके प्रावधानों ने प्रावधान नहीं किया था। फिर संशोधित प्रावधानों को यह निर्धारित करने के लिए देखा जाना चाहिए कि अब क्या उपाय प्रदान

किया गया है। अंत में, किसी को ऐसे उपाय के लिए सही तर्क की तलाश करनी चाहिए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के प्रसिद्ध मामले ब्लैक-क्लॉसन इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम पपीरवर्क वाल्डहोफ-असचफेनबर्ग एजी² में लॉर्ड रीड की निम्नलिखित टिप्पणियाँ; इस संदर्भ में विशेष रूप से प्रबुद्ध हैं:

“किसी को पहले संपूर्ण अधिनियम के संदर्भ में शब्दों को पढ़ना चाहिए, लेकिन वह उससे आगे जाने का हकदार है। किसी भी दस्तावेज़ को समझने में सामान्य नियम यह है कि व्यक्ति को स्वयं को निर्माता या निर्माताओं के 'जूतों में' रखना चाहिए और दस्तावेज़ बनाते समय उन्हें ज्ञात प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। इसे एक तथ्य के अधीन संसद के अधिनियमों पर भी लागू होना चाहिए। एक अधिनियम सभी झूठों को संबोधित है और ऐसी किसी भी चीज़ को ध्यान में रखना गलत प्रतीत होगा जो उस समय सार्वजनिक ज्ञान में नहीं थी। यह उस समय सामान्य ज्ञान हो सकता है या यह कुछ प्रकाशित जानकारी हो सकती है जिसके बारे में यह माना जा सकता है कि यह संसद के मन में रही होगी। यह हमेशा कहा गया है कि उस 'शरारत' पर विचार करना महत्वपूर्ण है जिसे दूर करने के लिए अधिनियम स्पष्ट रूप से बनाया गया था। 'शरारत' शब्द पारंपरिक है। मैं इसे इस तरह विस्तारित करूंगा। अधिनियम को पढ़ने के अलावा आप उन तथ्यों पर भी गौर करें जिनके बारे में माना जाता है कि वे उस समय संसद को ज्ञात थे जब वह विधेयक, जो विचाराधीन अधिनियम बन गया था, उसके समक्ष था और आप इस बात पर विचार करें कि क्या कुछ असंतोषजनक स्थिति का खुलासा किया गया है जिसका अधिनियम द्वारा उचित रूप से उपचार किया जाना संसद का इरादा था।....”

12. स्पष्ट रूप से, यहां वास्तविक मुद्दा केवल हरियाणा विधानमंडल की विधायी क्षमता का नहीं है। वास्तव में, यह संसद की तुलना में सभी राज्य विधानमंडलों की विधायी क्षमता से संबंधित है और अनिवार्य रूप से बड़े प्रभाव वाले राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को उठाता है। इसलिए, किसी को भी 46वें संशोधन द्वारा किए गए संवैधानिक परिवर्तनों के वास्तविक आयात को उजागर करने के लिए विस्तार की भर्त्सना

² [1975] 1 All England Reports 810

का जोखिम उठाना चाहिए। यह तभी संभव है जब इसकी विधायी पृष्ठभूमि को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए जो काफी गहराई से जांच की मांग करती है।

13. हमारे उद्देश्यों के लिए, संविधान-पूर्व की स्थिति में गहराई से जाना अनावश्यक है। यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि इसकी घोषणा से पहले, प्रत्येक राज्य ने अपने बिक्री कर कानूनों के तहत क्षेत्रीय सिद्धांत पर समान लेन-देन पर कर लगाने का प्रयास किया था। अंततः परिणाम यह हुआ कि क्षेत्रीय सांठगांठ के एक या दूसरे तत्व के आधार पर, एक ही लेन-देन को अलग-अलग राज्यों में कर का सामना करना पड़ा और एक ही या अलग-अलग राज्यों में व्यापार और उपभोक्ताओं को अपरिहार्य कठिनाई का सामना करना पड़ा। संविधान के निर्माताओं ने इस समस्या की पेचीदगियों से पूरी तरह परिचित होने के कारण, कुछ हद तक जटिल संवैधानिक योजना के ज़रिए और अनुच्छेद 286 के अन्तर्गत माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने के संबंध में राज्यों की शक्ति पर प्रतिबंध लगाकर इसे रोकने की कोशिश की। हालांकि, विभिन्न राज्यों के बिक्री कर कानूनों में वास्तविक और व्यावहारिक अनुप्रयोग में; गंभीर जटिलताएँ पैदा हुईं, जिससे अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या आयात या निर्यात के दौरान बिक्री के दायरे और प्रकृति के संबंध में न्यायिक राय में समान रूप से तीव्र संघर्ष हुआ। यही वह स्थिति थी जिसके कारण 1956 में संविधान में छठे संशोधन की आवश्यकता पड़ी, जिसने अनुच्छेद 286 में मौलिक संशोधन किया और अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर लगाने की शक्ति को राज्य सूची से अलग कर दिया और सातवीं अनुसूची की सूची में प्रविष्टि संख्या 92-ए डालकर इसे संघ सूची में डाल दिया गया। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर राज्यों को कर निर्धारित करने के लिए अनुच्छेद 269 में खंड (जी) जोड़ा गया, जहां अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान ऐसी बिक्री या खरीद होती है। अनुच्छेद 269 में खंड (3) भी जोड़ा गया ताकि संसद को यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांत तैयार करने का अधिकार दिया जा सके कि अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की बिक्री या खरीद कब होती है। परिणामी प्रभाव यह है कि अब संविधान के अन्तर्गत, वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर लगाने की शक्ति सातवीं अनुसूची की सूची में प्रविष्टि संख्या 54 के आधार पर राज्यों में निहित विधायी शक्ति के संदर्भ में है। हालांकि, राज्यों का यह विधायी अधिकार संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 286(1)(ए),

286(1)(बी) और 286(3) में निहित तीन सीमाओं द्वारा प्रतिबंधित है। ये सीमाएँ कुछ हद तक ओवरलैप होती हैं, लेकिन वे संचयी हैं और राज्यों द्वारा वस्तुओं की बिक्री और खरीद पर कर लगाने की विधायी शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है, जब यह इनमें से किसी भी सीमा से प्रभावित न हो, जो निम्न से संबंधित है:

(i) आयात या निर्यात के दौरान बिक्री पर कर;

(ii) राज्य के बाहर बिक्री पर कर; और

(iii) आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर कर।

समान रूप से, राज्यों को अब अंतर-राज्यीय बिक्री या खरीद पर कर लगाने की शक्ति से वंचित कर दिया गया है जो अब संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 92-ए द्वारा विशेष रूप से केंद्रीय संसद में निहित है।

14. संविधान के छठे संशोधन द्वारा संसद को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसने केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 को अधिनियमित किया, जिसका स्वीकृत उद्देश्य इसकी प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों में है:-

“ये सिद्धांत तैयार करने के लिए एक अधिनियम कि अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या किसी राज्य के बाहर या भारत में आयात या भारत से निर्यात करने के दौरान माल की बिक्री या खरीद कब होती है, यह निर्धारित करने के लिए, अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तुओं की बिक्री पर करों के लगाने, संग्रह और वितरण का प्रावधान करने के लिए और कुछ वस्तुओं को अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व हेतु घोषित करने और विशेष महत्व के ऐसे सामानों की बिक्री या खरीद पर कर लगाने वाले राज्य कानून जिन प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन होंगे, उन्हें निर्दिष्ट करने के लिए।”

हालाँकि, यदि विधायकों की आशा थी कि अंततः केंद्र और राज्य बिक्री कर लगाने की समस्याओं का समाधान हो जाएगा; यह स्पष्ट रूप से उक्त कानूनों की वास्तविक कार्यप्रणाली द्वारा झुठलाया गया था। उक्त समस्याओं की जटिलता के कारण केंद्रीय बिक्री कर के प्रशासन और राज्य सरकारों द्वारा बिक्री कर लगाने पर संवैधानिक प्रतिबंधों से उत्पन्न होने वाले सात विशिष्ट प्रश्नों और अन्य संबंधित समस्याओं पर गौर करने के लिए कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा फिर से विधि आयोग को एक संदर्भ की आवश्यकता हुई। यह संदर्भ भारत के विधि आयोग द्वारा उक्त समस्याओं की बहुत ही बारीकी से और ज्ञानवर्धक जांच का विषय था, जिसकी परिणति माल की बिक्री पर कर लगाने की राज्यों की शक्तियों और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 से जुड़ी कुछ समस्याओं पर अपनी 61वीं रिपोर्ट में हुई। केंद्र के किसी भी प्रसार को रोकने के लिए, किसी को निम्नलिखित विशिष्ट प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो विधि आयोग को भेजा गया था:

“परिचय. 8(ii):

एक राज्य से दूसरे राज्य में माल के हस्तांतरण के माध्यम से केंद्रीय बिक्री कर की चोरी, जिसे खेप हस्तांतरण या उसी संस्थान की किसी अन्य शाखा में स्थानांतरण माना जाता है।”

उपर्युक्त प्रश्न पर विधि आयोग की 61वीं रिपोर्ट (जिसे इसके बाद "रिपोर्ट" कहा जाएगा) के अध्याय 2 में स्पष्ट रूप से विचार किया गया था, जिसमें समस्या को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया था:

“2.2: यह कहा गया है कि 'कंसाइनमेंट ट्रांसफर' के कराधान के संबंध में कठिनाइयां मौजूद हैं, - यानी, किसी वाणिज्यिक एजेंसी या संस्थान की एक शाखा द्वारा राज्य के बाहर किसी अन्य शाखा में माल का स्थानांतरण। ऐसा कहा गया है कि केंद्रीय बिक्री कर ऐसे हस्तांतरणों पर नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अंतर-राज्यीय आवाजाही होने के बावजूद कोई अंतर-राज्य 'बिक्री' नहीं होती है।”

विधि आयोग ने देखा कि एक निर्माता द्वारा एक शाखा से भिन्न राज्य में दूसरी शाखा में माल की खेप पर कराधान सख्ती से केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की योजना के अंतर्गत नहीं था, क्योंकि यह केवल

अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की बिक्री या खरीद पर करों से संबंधित था। इसने शाखा से शाखा तक खेप पर कर लगाने के प्रावधान को शुरू करने के औचित्य पर भी विचार किया, भले ही ऐसा विधायी प्रावधान सैद्धांतिक रूप से सूची 1 की प्रविष्टि संख्या 97 के आधार पर कराधान की अपनी अवशिष्ट शक्तियों के तहत संसद की क्षमता के भीतर था। विधि आयोग ने कंसाइनमेंट ट्रांसफर के महत्वपूर्ण प्रश्न पर केल्विनेटर ऑफ़ इंडिया बनाम हरियाणा राज्य³ के प्रभाव पर भी विचार किया। उत्पन्न समस्या के समाधान के रूप में, विधि आयोग ने केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत बिक्री के दायरे को व्यापक बनाने के लिए अपनी प्राथमिकता का संकेत दिया ताकि इसके व्यापक दायरे में बिक्री के दायरे में न आने वाली अंतर-राज्यीय माल की खेप को लाया जा सके, बजाय कि इस उद्देश्य के लिए एक अलग अधिनियम बनाया जाए। जिम्मन 2.23 में इसने केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 2(g) में "बिक्री" की परिभाषा में आवश्यक संशोधन के लिए अपनी सिफारिश की। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित शब्दों में एक संवैधानिक संशोधन भी आवश्यक समझा गया:

“2.26: हमें यह बताना चाहिए कि उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, खेप पर कर की आय के वितरण को अधिकृत करने के लिए संविधान में संशोधन अपरिहार्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसद के पास पहले से ही अपनी अवशिष्ट शक्ति के तहत अंतर-राज्यीय खेप पर कर लगाने की शक्ति है। परन्तु इस प्रकार लगाए जाने वाले कर की आय का वितरण अनुच्छेद 269 की भाषा में प्रदान नहीं किया जा सकता है और अनुच्छेद 269 के दायरे के विस्तार की आवश्यकता होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि अभिव्यक्ति 'बिक्री या खरीद', जो अनुच्छेद 269 में आती है (और संघ सूची में, प्रविष्टि संख्या 92-ए) इसकी वही व्याख्या की जानी चाहिए जो राज्य सूची की प्रविष्टि 54 के अंतर्गत दी गई है।”

इस बिंदु पर अंतिम निष्कर्ष और अनुशांसा रिपोर्ट के अध्याय 12 के पृष्ठ 178-179 में निम्नलिखित शब्दों में थी:

³ (1973) 2 SCC 551

“बिंदु 6-कंसाइनमेंट:

जिसे कभी-कभी 'कंसाइनमेंट ट्रांसफर' के रूप में वर्णित किया जाता है; वर्तमान कानून के तहत बिक्री के रूप में कर योग्य नहीं हैं। संघ उन पर अवशिष्ट शक्ति के तहत कर लगा सकता है, परन्तु यदि ऐसा कर लगाया भी जाता है, तो कर की आय को संविधान के अनुच्छेद 269(1)(g) और 269(3) में संशोधन किए बिना राज्यों को वितरित नहीं किया जा सकता है।”

इसलिए, यदि, नीतिगत मामले के रूप में खेपों को केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम में शामिल किया जाना है, तो सबसे पहले यह आवश्यक होगा कि संविधान के अनुच्छेद 269(1)(g) और 269(3) में संशोधन करें, उस अनुच्छेद में कुछ हद तक निम्नलिखित पंक्तियों में एक स्पष्टीकरण जोड़कर:

स्पष्टीकरण- इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "बिक्री या खरीद" इसमें माल की एक खेप शामिल है जो एक डीलर द्वारा अपने व्यवसाय के किसी अन्य स्थान पर या अपने प्रतिनिधि या अभिकर्ता को, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का अवसर देती है।

15. भारत के विधि आयोग की 61वीं रिपोर्ट में उल्लिखित उपर्युक्त सिफारिश मई, 1974 में प्रस्तुत की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मामला भारत सरकार द्वारा लंबे समय तक विचाराधीन रहा और 1981 तक संविधान (46वाँ संशोधन) विधेयक नहीं लाया गया और अंततः 1982 में संसद द्वारा पारित किया गया और वास्तव में 2 फरवरी, 1983 को लागू किया गया। सार में, इस बिंदु पर विधि आयोग की सिफारिशों को सरकार का और बाद में संसद का समर्थन मिला, जो कि संविधान में किए गए संशोधनों और संविधान (46वाँ संशोधन) विधेयक, 1981 (विधेयक संख्या 52 of 1981) के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के विवरण दोनों से यह स्पष्ट है। हमारे सामने मौजूद विशिष्ट बिंदु से संबंधित प्रासंगिक जिम्मन, विस्तार से ध्यान देने योग्य हैं:

“3. इस स्थिति के परिणामस्वरूप विभिन्न तरीकों से कर से बचने की गुंजाइश बनी है। इसका एक उदाहरण अंतर-राज्यीय खेप हस्तांतरण की प्रथा है, यानी, एक राज्य के प्रधान कार्यालय या अभिकर्ता

से दूसरे राज्य की किसी शाखा या प्रतिनिधि को माल का स्थानांतरण या इसके विपरीत या खेप खाते पर माल का स्थानांतरण" केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत अंतर-राज्य बिक्री पर बिक्री कर के भुगतान से बचने के लिए,.... “

* * *

“5. वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का उल्लेख भारत के विधि आयोग को किया गया था। आयोग ने अपनी 61वीं रिपोर्ट में इन मामलों पर विचार किया और अन्य बातों के साथ-साथ संविधान में कुछ संशोधनों की सिफारिश की, प्रशासनिक नीति के मामले के रूप में पूर्ववर्ती जिम्मन में उल्लिखित प्रकृति के लेन-देन पर कर लगाने का निर्णय लिया जाता है।”

* * *

“7. उन राज्य सरकारों से रिपोर्टें थीं जिन्हें बिक्री कर से राजस्व सौंपा गया है, कि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की खेप के माध्यम से माल की अंतर-राज्य बिक्री पर लगाए जाने वाले केंद्रीय बिक्री कर से बड़े पैमाने पर बचाव किया गया है और कार्य अनुबंधों, किराया-खरीद लेनदेन, फिल्मों के पट्टे आदि में स्थानीय बिक्री कर का रिसाव है। हालांकि, संसद इन लेन-देन पर कर लगा सकती है, क्योंकि बिक्री पर कर को हमेशा राज्यों को सौंपे जाने वाले राजस्व की एक वस्तु के रूप में माना जाता है, इन लेन-देन के संबंध में जो बिक्री से मिलते जुलते हैं, यह माना जाता है कि समान नीति अपनाई जानी चाहिए।”

* * *

“10. सातवीं अनुसूची में संघ सूची में प्रविष्टि 92-बी के रूप में एक नई प्रविष्टि शामिल करने की मांग की गई है, ताकि माल की खेप पर कर लगाया जा सके, जहां ऐसी खेप अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है।”

* * *

“11. अनुच्छेद 269 के खंड (1) में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की खेप पर लगाया गया कर राज्यों को सौंपा जा सके। अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की खेप कब होती है, यह निर्धारित करने के लिए संसद को कानून सिद्धांतों को तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए उस अनुच्छेद के खंड (3) में संशोधन करने का प्रस्ताव है।”

* * *

“14. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।”

16. संदर्भ में आसानी के लिए 46वें संशोधन द्वारा किए गए परिवर्तनों को उद्धृत करना अब उपयुक्त और वास्तव में आवश्यक है और अनुच्छेद 269 के प्रासंगिक प्रावधानों और सातवीं अनुसूची की सूची। की प्रविष्टि संख्या 92-ए और 92-बी को पढ़ना पर्याप्त होगा:-

“269. संघ द्वारा लगाए गए कर, लेकिन राज्यों को सौंपे गए:-

(1) निम्नलिखित शुल्क और कर भारत सरकार द्वारा लगाए और एकत्र किए जाएंगे, लेकिन खंड (2) में दिए गए तरीके से राज्यों को सौंपे जाएंगे, अर्थात्:-

(ए)...

(बी)...

(सी)...

(डी)...

(इ)...

(एफ)...

संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा सम्मिलित

(जी) समाचार पत्रों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर, जहां ऐसी बिक्री या खरीद अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है;

संविधान (46वां संशोधन) अधिनियम, 1982 द्वारा सम्मिलित

(एच)माल की खेप पर कर,(चाहे खेप इसे बनाने वाले व्यक्ति के लिए हो या किसी अन्य व्यक्ति के लिए), जहां ऐसी खेप अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है।

(2)...

(संविधान (46वां संशोधन)द्वारा संशोधित)

(3) संसद कानून द्वारा, यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांत बना सकती है कि अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की बिक्री या खरीद, या खेप कब होती है।

प्रविष्टि संख्या 92-ए:- संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा डाला गया -

समाचार पत्रों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर, जहां ऐसी बिक्री या खरीद अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है।

प्रविष्टि संख्या 92-बी:-संविधान (46वां संशोधन) अधिनियम, 1982 द्वारा सम्मिलित

माल की खेप पर कर (चाहे खेप इसे बनाने वाले व्यक्ति को हो या किसी अन्य व्यक्ति को), जहां ऐसी खेप अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है ।

17. यह उपर्युक्त ऐतिहासिक विधायी पृष्ठभूमि में है कि किसी को आवश्यक रूप से उपर्युक्त प्रावधानों का दृष्टिकोण और व्याख्या करनी चाहिए। यह स्पष्ट है कि यहां पूरी समस्या एक ही संस्थान की एक शाखा से राज्य के बाहर उसकी दूसरी शाखा में माल के स्थानांतरण के माध्यम से कर की चोरी थी। यह उन विशिष्ट मुद्दों में से एक था जिसे सरकार ने विधि आयोग को भेजा था और जो विधि आयोग द्वारा देखा और जांचा गया। उपर्युक्त कमी को दूर करने के लिए विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशें "बिक्री" की परिभाषा का विस्तार थीं; ताकि उक्त माल के स्थानांतरण को बिक्री के दायरे में शामिल किया जा सके और उन्हें विशेष रूप से भारत संघ द्वारा कर लगाने के दायरे में लाने के लिए आवश्यक विधायी और संवैधानिक परिवर्तन करना। यह अपनाया गया और इस प्रकार अधिनियमित किया गया, जैसा कि 46वें

संशोधन के विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के विवरण और इसके द्वारा किए गए प्रासंगिक परिवर्तनों से स्पष्ट है। इन्हें स्पष्ट रूप से पढ़ने पर कोई संदेह नहीं रह जाएगा कि किसी संस्था की एक शाखा से राज्य के बाहर उसकी दूसरी शाखा में माल के खेप हस्तांतरण पर कर लगाने की विधायी शक्ति और उसके सभी प्रासंगिक, सहायक या पूरक मामले अब राज्यों का पूर्ण बहिष्कार कर भारत संघ में निहित घोषित किए गए हैं।

18. अब अनुच्छेद 269 के शीर्षक के केवल संदर्भ से यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसके खंड (1) में वर्णित कर वे हैं जो भारत संघ द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं। ये कानून के ऐसे क्षेत्र हैं जो विशेष रूप से केंद्रीय क्षेत्र में हैं। अनुच्छेद 269 के खंड (1) के उपखंड (ए) से (एफ) का संदर्भ फिर से उस कराधान की प्रकृति का संकेत है जो संघ द्वारा अधिरोपण और संग्रह के लिए निर्धारित किया गया है परन्तु बाद में राज्यों को सौंपा जाना है। ऐतिहासिक रूप से, माल की बिक्री या खरीद पर करों से संबंधित उप-खंड (जी) जहां ऐसी बिक्री या खरीद अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुई थी, छठे संशोधन द्वारा अलग-अलग राज्यों की उस बुराई को दूर करने के लिए डाला गया था जिससे वह अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य में बिक्री और खरीद के समान लेन-देन पर कर लगाने का प्रयास कर रहे थे। इसकी पूरक प्रविष्टि संख्या 92-ए को भी संघ सूची में जोड़ा गया ताकि इसकी विधायी शक्ति विशेष रूप से केंद्र में निहित हो सके। अब अनुच्छेद 269(1) में उप-खंड (एच) डालकर और संघ सूची में प्रविष्टि संख्या 92-बी जोड़कर एक समान विधायी स्वरूप अपनाया गया है। अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री या खरीद पर कर लगाने की विधायी क्षमता के संबंध में छठे संशोधन ने जो किया, वह अब अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की खेप पर करों से संबंधित छियालीसवें संशोधन द्वारा किया गया है। मूलभूत सार में, अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की खेप पर कर लगाने की शक्ति और उसके सभी सहायक या पूरक मामले अब विशेष रूप से संघ के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। पुनः खंड (एच) और प्रविष्टि 92-बी में प्रयुक्त भाषा महत्वपूर्ण है। यह अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को माल की खेप के संदर्भ में बात करता है। इसलिए,

संस्थान की एक शाखा से अन्य राज्यों में उसकी अन्य शाखाओं में खेप का विशिष्ट मामला विशेष रूप से इन प्रावधानों के अन्तर्निहित है और संघ के क्षेत्र के लिए आरक्षित है।

19. अनुच्छेद 269 के खंड (3) में लाए गए परिवर्तन पर फिर से ध्यान दिए बिना नहीं जाया जा सकता है। अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की खेप कब होती है, यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांत बनाने के लिए अब संसद को समान रूप से अधिकार है। अनिवार्य रूप से, पूरा मामला अब संसदीय क्षेत्र में छोड़ दिया गया है जिसमें अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की खेप के रूप में क्या समझा जाना चाहिए, इसके परीक्षण का सूत्रीकरण भी शामिल है। यह याद रखना उचित होगा कि इसी शक्ति के तहत कार्य करते हुए, संसद ने केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 3 के ज़रिए अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की बिक्री और खरीद का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब संसद के पास अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की खेप के संबंध में समान शक्ति है और वह उस संवैधानिक शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है। हमारे उद्देश्यों के लिए, यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि अब संसद के पास, यदि वह चाहे तो, माल की खेप की अवधारणा को बढ़ाने या विस्तारित करने की शक्ति है।

20. अंत में, इस संदर्भ में, कोई यह याद कर सकता है कि विधायी क्षमता निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए, अब हमें संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 92-बी का अर्थ लगाना होगा। यह सुस्थापित है कि सातवीं अनुसूची में विधायी प्रविष्टियाँ और विशेष रूप से, कर लगाने को अधिकृत करने वालों को उनका व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए, न्यायिक दृष्टांतों का वर्णन व्यर्थ होगा। खेरबारी टी कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम असम राज्य⁴ के मामले में निम्नलिखित टिप्पणियों को याद करना पर्याप्त है:

“इस बात पर जोर देना शायद ही आवश्यक है कि सातवीं अनुसूची की तीन सूचियों की प्रविष्टियाँ जो संबंधित विधायिकाओं को उनके क्षेत्र में निहित विषयों से निपटने के लिए विधायी क्षमता प्रदान करती हैं, उन्हें यथासंभव व्यापक व्याख्या प्राप्त होनी चाहिए; और इसलिए प्रविष्टि में उस तरह

⁴ AIR 1964 S.C. 925

की कोई सीमा पढ़ना अनुचित होगा जैसा श्री पाठक का तर्क प्रतिपादित करता प्रतीत होता है। इसके अलावा, यह सर्वविदित है कि जब विधायिका को कर लगाने की शक्ति प्रदान की जाती है, तो उस शक्ति का व्यापक अर्थ लगाया जाना चाहिए; इसमें कर लगाने और ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए वस्तुओं या धातुओं का चयन करने की शक्ति शामिल होनी चाहिए; साथ ही इसमें कर की दर तय करने और कर की वसूली के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति भी शामिल होनी चाहिए..."

इस संबंध में नवीनचंद्र मफतलाल, बॉम्बे बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी⁵ और वेवर्ली जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम रेमन एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड⁶ का भी संदर्भ दिया जा सकता है। उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकलेगा कि प्रविष्टि 92-बी के आधार पर, संघ को अब न केवल सख्ती से माल की खेप पर कर लगाने की शक्ति प्राप्त है अपितु उक्त शक्ति समान रूप से सभी सहायक और अनुपूरक क्षेत्रों के साथ-साथ उक्त क्षेत्र में राज्य विधानमंडल के बहिष्कार को शामिल करेगी।

21. इस पहलू पर निष्कर्ष निकालने के लिए, 46वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 269 में किए गए संवैधानिक परिवर्तनों को प्रविष्टि संख्या 92-बी के सम्मिलन के साथ पढ़ा जाता है। संघ सूची, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाएगा कि अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य और सभी सहायक, पूरक के दौरान माल की खेप पर कर का विधायी क्षेत्र (चाहे वह खुद का हो या किसी अन्य व्यक्ति का) या परिणामी मामले, अब विशेष रूप से संसदीय कानून के लिए आरक्षित घोषित किए गए हैं और राज्य विधानमंडलों द्वारा इस क्षेत्र में किसी भी घुसपैठ को स्पष्ट रूप से वर्जित किया गया है।

22. अब एक बार ऐसा होने के बाद, शेष मुद्दा यह है कि क्या हरियाणा अधिनियम संख्या 3 of 1983 द्वारा अधिनियम की धारा 9(1)(b) में किया गया विवादित संशोधन, संक्षेप में, अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की खेप पर कर लगाता है या किसी भी मामले में उसके सहायक या पूरक क्षेत्र में घुसपैठ करता है।

⁵ AIR 1955 S.C. 58

⁶ 1963 S.C. Page 90

23. अब संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए पूर्वव्यापी संशोधन पर सटीक रूप से ध्यान देने का मंच तैयार है। केवल प्रासंगिक भागों को पढ़ना और मूल और संशोधित प्रावधानों को एक साथ रखना उपयुक्त है:

मूल प्रावधान

संशोधित प्रावधान

9(1) जहां एक डीलर इस अधिनियम के तहत

कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है,-

(ए) अनुसूची बी में निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा वस्तु खरीदता है, राज्य में किसी भी स्रोत से और राज्य में उनका उपयोग अनुसूची बी में निर्दिष्ट माल के निर्माण में करता है; या

(i) * * *

(बी) दूध को छोड़कर, अनुसूची बी में निर्दिष्ट

वस्तुओं के अलावा वस्तु खरीदता है, राज्य में किसी भी स्रोत से और राज्य में उनका उपयोग अन्य वस्तुओं के निर्माण में करता है और निर्मित वस्तुओं का निपटान बिक्री के अलावा अन्य किसी माध्यम से करता है, या तो राज्य में या निर्यात के दौरान केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा(1) के अर्थ के भीतर भारत की क्षेत्रभूमि के बाहर,

(बी) अनुसूची बी में निर्दिष्ट

वस्तुओं के अलावा वस्तु खरीदता है, राज्य में किसी भी स्रोत से और राज्य में उनका उपयोग अन्य वस्तुओं के निर्माण में करता है और या तो निर्मित वस्तुओं का निपटान बिक्री के अलावा किसी अन्य माध्यम से राज्य में करता है या निर्मित वस्तुओं का निपटान राज्य से बाहर किसी स्थान पर, अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री के अलावा किसी

अन्य माध्यम से या निर्यात के
दौरान केंद्रीय बिक्री कर
अधिनियम की धारा 5 की उप-
धारा(1) के अर्थ के भीतर,
भारत की क्षेत्रभूमि के बाहर

* * *

(बीबी) ***

24. वास्तविक मुद्दे की सही ढंग से सराहना करने और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए, इसे सीधे उजागर किया जा सकता है कि यहां याचिकाकर्ताओं की ओर से चुनौती केवल उपरोक्त रेखांकित शब्दों को सम्मिलित करने के लिए निर्देशित है। इन अपमानजनक शब्दों पर रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से (निश्चित रूप से उनके सत्यापन के परिणामी परिणामों आदि के साथ) हमला किया गया है, क्योंकि यह कानून के विशेष संसदीय क्षेत्र पर कथित रूप से कुठाराघात करने के लिए हरियाणा विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे है। यहां धारा 9(1)(b) द्वारा दर्शाई गई अन्य स्थितियों के विरुद्ध कोई हमला नहीं किया गया है, अर्थात्, निर्मित वस्तुओं के निपटान के संबंध में राज्य में बिक्री के माध्यम से या भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के अलावा किसी अन्य तरीके से। संशोधित प्रावधान पर हमले के मूल को स्पष्ट रूप से इंगित करने के लिए, इसे अलग किया जा सकता है और निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है:

“9. खरीद कर का भुगतान करने का दायित्व.-

(1) जहां एक डीलर इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है,-

(ए) ...

राज्य के किसी भी स्रोत से दूध को छोड़कर अनुसूची बी में निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा अन्य सामान खरीदता है और उन्हें राज्य में किसी अन्य सामान के निर्माण में उपयोग करता है और निर्मित सामान को राज्य के बाहर किसी अन्य तरीके से भेजता है। अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री की; जिन परिस्थितियों में इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत कोई कर देय नहीं है, वहां धारा 17 धारा 15 के तहत अधिसूचित किया जा सकता है।

25. अधिनियम की धारा 9 की व्याख्या करते समय, किसी को सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में क्या स्वीकार किया गया है और किसी भी मामले में गंभीर विवाद में नहीं डाला गया है। जैसा कि इसके शीर्षक से ही संकेत मिलता है, उक्त धारा खरीद कर लगाने के लिए मुख्य धारा है। यह खरीद कर के भुगतान के लिए दायित्व अधिरोपित करता है। इसकी उप-धारा(1) के अंतिम भाग में, यह प्रावधान किया गया है कि "अधिरोपित किया जाएगा" धारा 17 के प्रावधानों के अधीन खरीद कर उन दरों पर जिन्हें धारा 15 अधिनियम का। यह अनुभाग अपने आप में उस व्यक्ति को निर्दिष्ट करता है जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, वह सामान जिस पर कर लगाया जाता है और कुछ प्रावधानों के साथ कर योग्य घटनाओं को निर्धारित करता है जो उक्त खरीद कर की देयता को आकर्षित करेगा। इस मुद्दे पर जोर देना अनावश्यक है क्योंकि सिद्धांत रूप में यह स्पष्ट लगता है कि धारा 9 वास्तव में खरीद कर लगाने के लिए चार्जिंग अनुभाग है। इसे मशीनरी अनुभागों से स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिए जो आंतरिक रूप से प्रक्रियात्मक हैं और करों आदि के संग्रह का तरीका और तरीका प्रदान करते हैं, इसलिए इसे व्यापक और उदारतापूर्वक समझा जा सकता है। परिणामस्वरूप, एक बार जब यह मान लिया जाता है कि अधिनियम की धारा 9 चार्जिंग धारा है, तो यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि ऐसा प्रावधान सटीक रूप से होना चाहिए और सख्ती से समझा गया। समान रूप से, यह विवाद में नहीं है कि यदि कोई चार्ज करने वाला अनुभाग विधायी प्रविष्टि और विधायिका के लिए अधिकृत क्षेत्र से परे जाता है, तो उसे संभवतः कायम नहीं रखा जा सकता है।

26. नोटिस की अगली मांग एक निर्माता द्वारा राज्य के बाहर अपनी किसी शाखा में माल भेजने की वास्तविक प्रकृति है। यह स्वयंसिद्ध प्रतीत होता है कि प्रेषक द्वारा स्वयं को माल का ऐसा प्रेषण माल की बिक्री नहीं है और वास्तव में ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यह रेखांकित करने योग्य है कि ऐसी स्थिति में, संक्षेप में, जो होता है वह सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या संक्षेप में एक ही मालिक की एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरित करने से ज्यादा कुछ नहीं होता है। माल के स्वामित्व में दूर-दूर तक परिवर्तन नहीं होता। समान रूप से, उक्त सामान पर नियंत्रण या वास्तविक मालिक द्वारा बाद में उसका निपटान करने की क्षमता में कोई बदलाव नहीं होता है। स्वामित्व और नियंत्रण की बुनियादी घटनाओं में कोई बदलाव किए बिना माल की भौतिक स्थिति में केवल बदलाव होता है। इसलिए, इसकी वास्तविक प्रकृति में राज्य के बाहर मूल संस्थान की किसी अन्य शाखा में माल भेजना मौजूदा बिक्री कर कानून में कला की शर्तों के रूप में बिक्री के बराबर नहीं हो सकता है और आम बोलचाल में दूर-दूर तक नहीं। और इसका शब्दकोश अर्थ.

27. जैसा कि मैं वर्तमान में अधिनियम की धारा 9(1)(b) के संशोधित प्रावधान में प्रदर्शित करने का प्रयास करूंगा, वास्तविक कर लगाने की घटना का प्रेषण है अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री के अलावा किसी अन्य तरीके से निर्मित माल को राज्य के बाहर किसी स्थान पर ले जाना। क्या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान निर्माता द्वारा खुद को या किसी अन्य व्यक्ति को पूर्वोक्त प्रेषण और माल की खेप के बीच कोई स्पष्ट अंतर है? मेरी समझ से, वास्तव में कोई नहीं है। दोनों स्थितियाँ और उनके लिए प्रयुक्त पदावली वस्तुतः समान और पर्यायवाची हैं। दरअसल, अगर धारा 9(1)(b) में शब्द "प्रेषण" शब्द 'कंसाइनमेंट' द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, या प्रविष्टि संख्या 92-बी में विकल्प में, शब्द "कंसाइनमेंट" शब्द "प्रेषण" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो दोनों प्रावधानों में से किसी का भी अर्थ में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता है। रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से डॉ. चिताले की दलील में व्यवहार्यता और योग्यता दोनों हैं कि अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल का प्रेषण अंतर-राज्य के दौरान ऐसे माल की खेप का दूसरा नाम है। व्यापार या वाणिज्य. सामान्य रूप से प्रयुक्त पदावली अपनी व्यापक अवधारणा में एक-दूसरे के मूल रूप से पर्यायवाची हैं। पुनः विशिष्ट शब्द "प्रेषण" या "भेजें"

जब उनके विशिष्ट व्यावसायिक अर्थ में उपयोग किया जाता है तो वे समान और लगभग विनिमेय होते हैं। वेबस्टर के न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी में, शब्द "कंसाइन" इसका मतलब है, किसी अन्य स्थान पर किसी एजेंट को भेजना या पता करना (लदान के बिल द्वारा या अन्यथा), देखभाल या बिक्री के लिए, या ऐसे एजेंट के उपयोग के लिए। शॉर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में, इस शब्द को दिया गया प्रासंगिक अर्थ है: बिक्री या हिरासत के लिए (माल) पहुंचाना या प्रसारित करना: आमतौर पर जहाज, रेलवे, आदि द्वारा उनके पारगमन का संकेत मिलता है। और रैंडम हाउस डिक्शनरी में, जैसे, जहाज भेजना, सामान्य वाहक के रूप में, विशेष रूप से। बिक्री या अभिरक्षा के लिए; ऐसे शिपमेंट के लिए पता करना। "प्रेषण" शब्द का प्रासंगिक अर्थ रैंडम हाउस डिक्शनरी में माल, धन आदि की त्वरित डिलीवरी को प्रभावित करने की एक विधि है, माल, धन आदि के शीघ्र संचरण के लिए एक वाहन या संगठन। यह ऊपर से अनुसरण करेगा कि माल का प्रेषण और माल की खेप (कानूनी उलझनों को छोड़कर) विनिमेय शब्द हैं। इसलिए, एक बार अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल का प्रेषण और माल की खेप, चाहे स्वयं को या ऐसे अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य में किसी अन्य व्यक्ति को, व्युत्पत्ति संबंधी या कानूनी समकक्ष हों, तो प्रविष्टि संख्या 92 के आधार पर- बी से सूची। तक, ऐसे लेनदेन पर कर लगाने की विधायी क्षमता विशेष रूप से संसद में निहित है। इस प्रकार व्यापक और बड़े परिप्रेक्ष्य में, माल की खेप पर प्रत्येक कर, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, अब भारत संघ द्वारा लगाए जाने के लिए आरक्षित है। हालाँकि, हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 9(1)(बी) के संशोधित प्रावधान हरियाणा राज्य के बाहर के स्थानों पर विनिर्मित वस्तुओं के प्रेषण पर लेवी की आड़ में एक समान कर लगाने का प्रयास करते हैं और इसलिए, हस्तक्षेप करते हैं। और भारत संघ द्वारा कराधान के लिए विशेष रूप से आरक्षित क्षेत्र में अतिक्रमण।

28. यद्यपि उपरोक्त निष्कर्ष एक तरह से मामले को रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में समाप्त कर देगा, फिर भी वही परिणाम के विवादित प्रावधानों द्वारा बताई गई वास्तविक कर घटना के करीबी विश्लेषण पर सामने आते प्रतीत होते हैं। अधिनियम की धारा 9(1)(बी)। इसकी विशिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए और उन्हें प्रसिद्ध निहाई पर रखते हुए, यह पहली बार स्पष्ट है कि "कर योग्य व्यक्ति" इसमें निर्दिष्ट

शर्तों के अनुसार डीलर अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। वाक्यांश "डीलर" अधिनियम की धारा 2(c) में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और इस प्रकार "कर योग्य व्यक्ति" के संबंध में कोई अस्पष्टता नहीं है; अधिनियम की धारा 9 के तहत बनी हुई है। इसी प्रकार, "करयोग्य वस्तुएं" सटीकता के साथ समान रूप से निर्धारित करने योग्य हैं। विशेष रूप से, खंड (बी) के तहत ये अनुसूची बी में निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा अन्य सामान हैं, जिनका उपयोग विनिर्माण प्रक्रिया में किया जाता है। हमारे सामने इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि यहां कर योग्य वस्तुएं स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती थीं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, अर्थात्, "करयोग्य घटना" धारा 9(1)(b) के तहत, केवल निर्मित वस्तुओं को राज्य के बाहर किसी स्थान पर भेजना है। दूसरे शब्दों में, यह माल की खेप है जो खरीद कर की देयता को आकर्षित करती है और मूल सार में "कर योग्य घटना" है; अधिनियम की धारा 9(1)(b) के तहत। एक बार ऐसा होने पर, यह स्पष्ट है कि सभी अधिशेष को छोड़कर, अधिनियम का तात्पर्य अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की खेप पर भी कर लगाने से है।

29. फिर, दूसरे कोण से देखने पर भी यह पहली बार स्पष्ट होता है कि धारा 9(1)(b) के तहत, जहां एक डीलर स्पष्ट उद्देश्य के लिए सामान खरीदता है राज्य के भीतर अन्य वस्तुओं का निर्माण करता है, तो ऐसी खरीद पर प्रावधान के तहत कोई कर नहीं लगता है। रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह सही तर्क दिया गया था कि यदि कंपनी, एक "डीलर" है; अधिनियम के तहत जूते के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में पैकिंग सामग्री और चिकनाई वाले तेल (इसके पंजीकरण प्रमाण पत्र के तहत) खरीदता है और उन्हें एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए भी संग्रहीत करता है, धारा 9(1) के तहत खरीद कर के लिए कोई दायित्व नहीं है। (b)एक्ट का मामला अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार, यहां तक कि जब खरीदी गई सामग्री का उपयोग किया जाता है और वस्तुओं के निर्माण में अवशोषित कर लिया जाता है, तो ऐसे रूपांतरण या स्वयं निर्माण पर कोई खरीद कर देयता नहीं आती है। यहां फिर से, सही रुख यह है कि यदि विनिर्मित सामान, अर्थात् यहां जूते, को कंपनी के कारखाने के गोदाम में एक या दो साल के लिए भी भंडारण में रखा गया था, तब भी इस पर कोई खरीद कर दायित्व नहीं लगेगा। इसलिए, न तो माल की मूल खरीद और न ही उसके अंतिम उत्पाद के निर्माण पर स्वयं खरीद कर लगता है और परिणामस्वरूप

दूर-दूर तक कर योग्य घटनाएं नहीं होती हैं। जो सीधे और मुख्य रूप से कर को आकर्षित करता है और जिसे वास्तव में अधिनियम की धारा 9(1)(b) के तहत कर लगाने वाली घटना के रूप में लेबल किया जा सकता है, वह तीन हैं- मोड़ने की आवश्यकता:

(i) निर्मित माल का राज्य में बिक्री के अलावा किसी अन्य तरीके से निपटान; या

(ii) अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री के अलावा किसी अन्य तरीके से निर्मित माल को राज्य के बाहर किसी स्थान पर भेजना; या,

(iii) भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विनिर्मित वस्तुओं का निपटान या प्रेषण।

अकेले ये तीन अनिवार्यताएं ही अधिनियम की संशोधित धारा 9(1)(b) में कर योग्य घटनाएं हैं। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, चुनौती केवल उपरोक्त श्रेणी (ii) में राज्य के बाहर किसी स्थान पर विनिर्मित वस्तुओं के प्रेषण की कर योग्य घटना तक ही सीमित है। नतीजतन, एक कानून में जहां कर योग्य घटना राज्य के बाहर माल का प्रेषण या खेप है, वही प्रविष्टि संख्या 92-बी के व्यापक दायरे में आएगी और इस प्रकार राज्यों द्वारा कराधान को बाहर रखा जाएगा।

30. प्रतिवादी-राज्य के मामले को सर्वोच्च स्थान पर रखने पर भी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह अभी भी प्रविष्टि संख्या 92-बी के व्यापक दायरे से बच नहीं सकता है। प्रतिवादी-राज्य की ओर से यह तर्क देने की मांग की गई थी कि कर योग्य घटना आवश्यक रूप से प्रेषण का अंतिम कार्य नहीं थी, बल्कि एक समग्र घटना थी। पूरी तरह से तर्क के लिए (बिना ऐसा कहे) मान लें तो इससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि यहां कर योग्य घटना वस्तुओं का निर्माण और राज्य के बाहर उनका प्रेषण होगा। अब स्थिति का विश्लेषण करने पर, यह स्पष्ट है कि सरलीकृत वस्तुओं का निर्माण संभवतः सूची II की प्रविष्टि संख्या 54 के तहत राज्यों द्वारा बिक्री या खरीद कर लगाने का विषय-वस्तु नहीं हो सकता है। प्रोविंस ऑफ मद्रास बनाम बोडू पेडन्ना और संस⁷; में क्लासिक प्रदर्शनी के बाद से यह अच्छी तरह से तय हो गया है।

⁷ 1942 FC 33

AIR. जबकि निर्माण अपने आप में उत्पाद शुल्क का विषय-वस्तु हो सकता है, यह बिक्री या खरीद कर के दायरे में नहीं आ सकता है। इस संदर्भ में कभी-कभी निर्माता की सामान के निर्माता और विक्रेता दोनों के रूप में दोहरी क्षमता से भ्रम पैदा होता है। बिक्री या खरीद कर किसी निर्माता पर विक्रेता के रूप में लगाया जा सकता है, लेकिन केवल माल के निर्माता या निर्माता के रूप में नहीं। इस बिंदु पर ग्वेयर, सी.जे. के उत्कृष्ट शब्द इस प्रकार हैं:

उत्पाद शुल्क जो संविधान अधिनियम विशेष रूप से केंद्रीय विधानमंडल को सौंपता है, केंद्रीय प्रांत मामले [1939] एफसीआर 18 के अनुसार हैं , कर वाली वस्तु के निर्माण या उत्पादन के संबंध में निर्माता या निर्माता पर लगाए गए शुल्क। माल की बिक्री पर कर, जिसे अधिनियम विशेष रूप से प्रांतीय विधानमंडलों को सौंपता है, माल की बिक्री के अवसर पर लगाया जाने वाला कर है। स्पष्ट रूप से पहली बिक्री पर लगाया गया कर चीजों की प्रकृति में निर्माता या उत्पादक द्वारा बिक्री पर कर होना चाहिए; लेकिन यह उस पर विक्रेता के रूप में लगाया जाता है, न कि निर्माता या उत्पादक के रूप में.... यह निर्माण का तथ्य है जो शुल्क को आकर्षित करता है, भले ही इसे बाद में एकत्र किया जा सकता है; और हम चीनी उत्पाद शुल्क अधिनियम की ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं जिसमें यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि शुल्क न केवल उस चीनी के संबंध में देय है जो जारी की जाती है। कारखाने के भीतर खपत होने वाली चीनी के संबंध में भी। बिक्री कर के मामले में, कर का दायित्व बिक्री के अवसर पर उत्पन्न होता है और बिक्री का निर्माण या उत्पादन से कोई आवश्यक संबंध नहीं होता है। निःसंदेह निर्माता या उत्पादक अपनी वस्तु तब तक नहीं बेच सकता जब तक कि उसने पहले उसका निर्माण या उत्पादन न कर लिया हो; लेकिन वह बिक्री कर के लिए उत्तरदायी है, यदि है भी तो, क्योंकि वह बेचता है, न कि इसलिए कि वह निर्माण करता है, या उत्पादन करता है; और यदि वह अपने कारखाने से आने वाली हर चीज़ को देने का निर्णय लेता है तो वह दायित्व से मुक्त हो जाएगा।

उपरोक्त से, यह निष्कर्ष निकलेगा कि भले ही खरीद कर विनिर्माण और राज्य के बाहर माल के प्रेषण पर संयुक्त रूप से लगाया जाता है, फिर भी कर योग्य घटना उसका प्रेषण ही रहेगी क्योंकि माल के निर्माण

पर कर स्वीकार्य रूप से परे है। राज्यों की विधायी क्षमता" बिक्री कर कानून. इसलिए, इसका मतलब यह होगा कि कोई भी लेवी जो माल की खेप पर सरलता से या उनके निर्माण और खेप के साथ समग्र रूप से कर लगाती है, अभी भी केवल प्रविष्टि संख्या 92-बी की छत्रछाया में आएगी। यह याद रखने योग्य है कि ऐसे लेनदेन पर कर लगाने की क्षमता समवर्ती सूची में दूर-दूर तक नहीं है और अब यह विशेष रूप से संघ सूची में है। इसलिए, जब एक समग्र कर योग्य घटना के पहलू से भी देखा जाता है, तब भी विधायी शक्ति केवल प्रविष्टि संख्या 92-बी द्वारा कवर की जाएगी।

31. संक्षेप में, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी-हरियाणा राज्य ने अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान राज्य के बाहर माल की खेप पर कर लगाने के अपने उत्साह पर पहले ही अधिसूचना, अनुलग्नक पी-2 जारी कर दी थी। उसी को अपने दायरे में लाने का प्रयास किया जा रहा है। गुडइयर इंडिया लिमिटेड के मामले 1983 आरएलआर 68 में, यह माना गया कि माल की ऐसी खेप अधिनियम की धारा 9 के मौजूदा प्रावधानों से परे थी। जो विनिर्मित वस्तुओं को बिक्री के अलावा अन्य तरीकों से निपटाने की स्थिति में खरीद कर लगाने को अधिकृत करता है। विचार यह था कि किसी निर्माता द्वारा स्वयं को माल की खेप भेजना किसी भी तरह से निर्मित माल का निपटान नहीं है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए, प्रतिवादी-राज्य ने अब अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की खेप को राज्य के बाहर विनिर्मित वस्तुओं के प्रेषण के रूप में लेबल करके बिक्री कर कानून के भीतर लाने का प्रयास किया है। ऐसा करने में, यह सूची II की प्रविष्टि संख्या 54 के दायरे से बहुत आगे निकल गया है, भले ही सबसे उदार निर्माण उस पर रखा गया हो। वास्तव में, यह कथित प्रेषण पर कर लगाने की आड़ में माल की खेप (सूची I की प्रविष्टि संख्या 92-बी के आधार पर) पर कर लगाने की विशेष संसदीय शक्ति में घुसपैठ करने का कुछ हद तक रंगीन प्रयास प्रतीत होता है। राज्य के बाहर निर्मित माल।

32. मामला दूसरे एंगल से भी जांच का हकदार है. निस्संदेह, अब प्रविष्टि संख्या 92-बी के आधार पर, भारत संघ को अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की खेप पर कर लगाने की शक्ति प्राप्त है। यदि इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद अब एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की खेप पर कर लगाना

चाहती है (जैसा कि यह अनिवार्य रूप से हो सकता है), तो यह हरियाणा राज्य के लिए भी ऐसा ही होगा, यदि समान नहीं तो समान कार्य करेगा जो कि हरियाणा विधानमंडल करता है। राज्य के बाहर विनिर्मित वस्तुओं के कथित प्रेषण पर कर लगाने के लिए अधिनियम की धारा 9(1)(b) में संशोधन पहले ही किया जा चुका है। जबकि संसद अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की खेप पर कर लगाएगी, राज्य अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान राज्य के बाहर निर्मित वस्तुओं के प्रेषण पर कर लगाएगा। अनिवार्य रूप से, इसके परिणामस्वरूप समान या समान लेनदेन पर कराधान का द्वंद्व होगा - एक हरियाणा राज्य द्वारा और दूसरा भारत संघ द्वारा। यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि यहां कराधान की शक्ति दूर-दूर तक समवर्ती सूची में नहीं है और प्रविष्टि संख्या 92-बी के आधार पर विशेष रूप से संसदीय क्षेत्र में है। इसलिए, राज्यों को अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री के अलावा राज्य के बाहर ऐसे माल के प्रेषण पर कर की आड़ में, अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य में माल की खेप पर कर लगाने की अनुमति दी गई है। संक्षेप में, माल की अंतर-राज्य खेप पर कराधान की शक्ति को केवल भारत संघ तक सीमित रखने के लिए छियालीसवें संशोधन के प्रासंगिक प्रावधानों में परिणत होने वाली पूरी संवैधानिक कवायद को नकारात्मक कर दिया जाएगा।

33. विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा के प्रति निष्पक्षता में, किसी को मालाबार फ्रूट प्रोडक्ट्स कंपनी, भारानंगनम, कोट्टायम बनाम सेल्स टैक्स ऑफिसर, पलाई⁸ मामले में एकल पीठ के फैसले पर उनकी आग्रहपूर्ण निर्भरता का उल्लेख करना चाहिए, जिसकी पुष्टि की गई थी लेटर्स पेटेंट बेंच द्वारा यूसुफ शबीर बनाम केरल राज्य⁹ और सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य द्वारा भी अनुमोदनपूर्वक संदर्भित किया गया था में तमिलनाडु राज्य बनाम एम.के. कंडास्वामी¹⁰। मालाबार फ्रूट प्रोडक्ट्स कंपनी के मामले का बारीकी से विश्लेषण करने से पता चलता है कि केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 की धारा 5ए के कुछ समान प्रावधानों को चुनौती मुख्य रूप से इस आधार पर थी कि इस प्रकार लगाया गया कर, संक्षेप

⁸ [1972] 30 S.T.C. 537

⁹ [1973] 32 S.T.C. 359

¹⁰ [1975] 36 S.T.C. 191

में, बिक्री या खरीद पर कर नहीं था, बल्कि वास्तव में वस्तुओं के उपयोग या उपभोग पर कर था। यह वह विवाद था जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था और लेटर्स पेटेंट बेंच द्वारा अपील में इसकी पुष्टि की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने उक्त निर्णयों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट रूप से देखा कि उसमें प्राथमिक तर्क यह था कि चार्जिंग धारा माल की बिक्री या खरीद पर नहीं बल्कि उसके उपयोग या उपभोग पर कर लगाती है। यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में यह मुद्दा दूर-दूर तक नहीं उठता है और रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से ऐसा कोई या समान तर्क नहीं दिया गया है। क्विन बनाम लेदरन¹¹ में पवित्र नियम परउड़ीसा राज्य बनाम सुधांशु शेखर मिश्रा¹² में पुष्टि की गई, एक मिसाल है एक प्राधिकारी केवल उसके लिए जो वह वास्तव में निर्णय लेता है, न कि उसके लिए जो दूरस्थ रूप से उसका अनुसरण कर सकता है। सार निर्णय का अनुपात है न कि उसमें हर गुजरते अवलोकन का। नतीजतन, मामलों का उपरोक्त सेट स्पष्ट रूप से अलग-अलग है और वास्तव में हमारे सामने विचाराधीन मूल मुद्दे से बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। यह रेखांकित करने योग्य है कि उपरोक्त मामलों में, संबंधित राज्य कर कानूनों को अधिनियमित करने के लिए केरल या मद्रास विधानमंडल की विधायी क्षमता का प्रश्न किसी भी स्तर पर नहीं उठाया गया था। इसलिए, इस आधार पर चुनौती कि उक्त अधिनियमों में संबंधित अनुभागों का कोई भी हिस्सा सूची संख्या ॥ की प्रविष्टि संख्या 54 से आगे चला गया है और वास्तव में विचार के लिए नहीं गिर सकता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उस स्तर पर संविधान में छियालीसवें संशोधन के इरादे और आयात का कोई सवाल नहीं उठ सकता था और न ही सातवें की सूची । में प्रविष्टि संख्या 92-बी के सम्मिलन का प्रभाव उत्पन्न हो सकता था। अनुसूची। रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने ठीक ही बताया था कि तमिलनाडु राज्य बनाम एम.के. कंडास्वामी¹³ मामले में सर्वोच्च न्यायालय में उनका आधिपत्य था। ने स्वयं देखा था कि उनके सामने प्रश्न मद्रास जनरल सेल्स टैक्स अधिनियम, 1959 की धारा 7-ए के दायरे और व्याख्या का था और स्पष्ट रूप से इसकी संवैधानिकता या विधायी क्षमता का नहीं था। मद्रास विधानमंडल इसे

¹¹ 1901 A.C. 595

¹² AIR 1968 S.C. 647

¹³ 1975(36) S.T.C. 191

अधिनियमित करेगा। हमारे सामने मौजूद महत्वपूर्ण और सटीक मुद्दों पर उपरोक्त निर्णय प्रतिवादी-राज्य के लिए कोई सहायता नहीं है और स्पष्ट रूप से अलग-अलग हैं।

34. अब तक मैंने छियालीसवें संशोधन द्वारा संशोधित संविधान के प्रावधानों पर हमारे सामने मौजूद मुद्दों की जांच की है। हालाँकि, रिकॉर्ड को सीधा रखने के लिए, रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील डॉ. चितले को निष्पक्षता से ध्यान देना चाहिए कि उनका दृढ़ रुख यह था कि प्रविष्टि संख्या 92-बी की प्रविष्टि और संबंधित परिवर्तन पेश किए जाएं।^a मौजूदा संवैधानिक स्थिति में किसी आमूलचूल परिवर्तन के बजाय उसकी स्पष्ट घोषणा की प्रकृति में अधिक था। विकल्प में यह तर्क था कि छियालीसवें संशोधन से पहले भी, कानूनी स्थिति काफी हद तक समान थी और राज्यों के पास अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की मात्र खेप पर कर लगाने की विधायी क्षमता नहीं थी। राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 54 के अंतर्गत। संविधान का अनुच्छेद 269

35. अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त रुख प्रशंसनीय है और योग्यता से रहित नहीं है। जैसा कि इस फैसले के पहले हिस्सों में कुछ हद तक देखा गया है, किसी निर्माता द्वारा राज्य के बाहर अपनी शाखाओं में माल की खेप की वास्तविक प्रकृति, किसी भी तरह से माल की बिक्री या निपटान के बराबर नहीं है ऐसा। यह बहुत पहले से ही मद्रास राज्य बनाम गैनन डंकेरली और; में बिक्री कर कानूनों के तहत बिक्री या खरीद पर लगाए गए सख्त निर्माण को देखते हुए और भी अधिक है। कंपनी (मद्रास) लिमिटेड¹⁴। और उसके बाद के निर्णयों की लंबी कतार। नतीजतन, किसी निर्माता द्वारा राज्य के बाहर माल का निर्माण और खेप स्वयं के लिए बिक्री या निपटान नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप यह सूची II की प्रविष्टि संख्या 54 के दायरे में नहीं होगा। उक्त प्रविष्टि बिक्री कर लगाने के लिए राज्यों की विधायी क्षमता का मैगना कार्टा है और इस प्रविष्टि को छोड़कर कोई अन्य मूलभूत अधिकार भी प्रतिवादी-राज्य की ओर से लागू संशोधन को लागू करने के लिए लागू नहीं किया गया था। नतीजतन, छियालीसवें संशोधन के अनुसार, अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान राज्य के बाहर विनिर्मित वस्तुओं की मात्र खेप या

¹⁴ A.I.R. 1958 S.C. 560

प्रेषण पर कर लगाने का प्रयास प्रविष्टि संख्या 54 के दायरे में नहीं आएगा और परिणामस्वरूप संबंधित राज्य विधानमंडलों की क्षमता। स्पष्ट रूप से, इन सीमाओं और राजस्व के रिसाव के कारण राज्यों द्वारा शिकायत की गई थी और उससे उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए मामले को विधि आयोग के पास भेजना पड़ा। जैसा कि विधि आयोग की 61वीं रिपोर्ट के उद्धरणों से स्पष्ट है, इसने स्पष्ट रूप से यह विचार किया कि माल की खेप पर कर लगाने की शक्ति सैद्धांतिक रूप से सूची 1 की शेष प्रविष्टि संख्या 97 के अंतर्गत आएगी और इसलिए विधायी और संवैधानिक संशोधन किए गए। समस्या से निपटने के लिए पूर्वापेक्षाएँ। ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि विधि आयोग ने केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम में संशोधन करके मात्र खेपों को भी बिक्री के दायरे में लाकर समाधान का प्रस्ताव दिया था। राज्यों को इससे मिलने वाला राजस्व, अनुच्छेद 269 में संवैधानिक संशोधनों को संसद ने अपने विवेक से अपनाया था और प्रविष्टि संख्या 92-बी शामिल की गई है मामले को सभी संदेहों से परे रखने के लिए सूची 1 में। इस प्रकार यह पता चलेगा कि छियालीसवें संशोधन से पहले की स्थिति में भी, अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की खेप अभी भी सूची 11 की प्रविष्टि संख्या 54 के दायरे से बाहर थी और इस प्रकार विधायी के अंतर्गत नहीं थी। राज्यों की क्षमता और अनुच्छेद 248 और सूची 1 की अवशिष्ट प्रविष्टि संख्या 97 के आधार पर पूरी तरह से कानून के संसदीय क्षेत्र के भीतर थी।

36. वास्तव में, बिक्री कर लगाने की बड़ी संवैधानिक योजना के विश्लेषण से संकेत मिलेगा कि यह तीन बुनियादी श्रेणियों में आती है। ये हैं माल की बिक्री, खरीद और खेप। जबकि सूची 11 की प्रविष्टि संख्या 54 के तहत बिक्री और खरीद को स्पष्ट रूप से राज्यों की विधायी क्षमता को सौंपा गया था, माल की खेप न तो बिक्री थी और न ही खरीद इसके परिणामस्वरूप उससे बाहर थी। छियालीसवें संशोधन से पहले, यह कुछ हद तक धूसर या उपछाया क्षेत्र केवल सूची 1 की अवशिष्ट प्रविष्टि संख्या 97 के तहत ही लाया जा सकता था। हालाँकि, इस बिंदु पर छियालीसवें संशोधन ने स्पष्ट रूप से रखकर संवैधानिक स्थिति की घोषणा की है विशिष्ट संसदीय क्षेत्र में अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की खेप। सूची 1 में प्रविष्टि संख्या 92-बी के अलावा, विधायी क्षमता के संबंध में बुनियादी संवैधानिक जनादेश अनुच्छेद 245 से 248 द्वारा प्रदान किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्यों की; विधायी शक्तियाँ कुछ

हद तक सीमित हैं और हमारी संवैधानिक योजना के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ भारत संघ में निहित हैं, न कि राज्यों में।

37. जैसा कि कभी-कभी बहुत कम विभाजित मुद्दों में अपरिहार्य होता है, भले ही दो व्याख्याएं संभव हों, मैं जिस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए इच्छुक हूँ, उसके पक्ष में झुकाव के लिए अतिरिक्त वजनदार कारण प्रतीत होते हैं। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, प्रतिवादी-हरियाणा राज्य (और इसी तरह के राज्य विधान, जो अनिवार्य रूप से अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं) द्वारा विवादित संशोधन को बरकरार रखने से, जब भी भारत संघ बाद में अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहेगा, कराधान में द्वंद्व पैदा होगा। अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की खेप पर कर लगाना। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, इस क्षेत्र में सबसे बड़ा पाप राज्यों द्वारा समान अंतर-राज्य लेनदेन पर कर लगाने के प्रतिस्पर्धी प्रयास हैं। इस प्रकार समान या समान क्षेत्रों पर राज्य और संघ विधानों के दोहराव से समान रूप से बचा जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि बिक्री कर कानूनों की संवैधानिक योजना राज्यों के विधायी क्षेत्रों और केंद्रीय कराधान शक्तियों का स्पष्ट रूप से सीमांकन करती है। नतीजतन, मैं जिस विचार को स्वीकार करने के लिए राजी हूँ, उससे राज्यों और भारत संघ की विधायी शक्तियों या कृत्यों के बीच कर के द्वंद्व या संघर्ष की सभी संभावनाओं से बचा जा सकेगा।

38. फिर, ऐतिहासिक रूप से, यह याद रखना उचित है कि पहले संविधान में छठा संशोधन अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान समान लेनदेन पर कर लगाने के लिए अलग-अलग राज्यों के प्रयासों के कारण आवश्यक हो गया था। इससे कराधान में दोहरापन पैदा हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप बहु-बिंदु कराधान के परिणामस्वरूप व्यापार के मुक्त प्रवाह में अपरिहार्य बाधाएँ पैदा हुईं और समान रूप से न्यायिक राय का तीव्र टकराव हुआ। यदि प्रत्येक राज्य को कथित प्रेषण की आड़ में अपने क्षेत्र के बाहर माल की खेप पर कर लगाने की अनुमति दी जाती है, तो पड़ोसी राज्यों के बीच और यहां तक कि जहां से माल की खेप आती है, उनके बीच फिर से कराधान का संघर्ष हो सकता है। और जहां इसे प्राप्त किया जाता है, इस प्रकार बहु-बिंदु कराधान की एक नई बुराई सामने आती है। शायद इसी कारण से कि एक राज्य से

दूसरे राज्य में माल की खेप द्वारा कर के रिसाव को रोकने के लिए, प्रदान किया गया उपाय माल की ऐसी खेप पर बिक्री कर लगाने के लिए राज्यों को व्यक्तिगत रूप से सशक्त बनाना नहीं था, बल्कि इसके बजाय ऐसी खेपों पर कर लगाने और एकत्र करने की शक्ति विशेष रूप से भारत संघ को प्रदान करना। इस प्रकार मैं जो दृष्टिकोण अपनाने को इच्छुक हूँ, उससे प्रतिस्पर्धी राज्यों के बीच कराधान के किसी भी टकराव से बचा जा सकेगा और साथ ही करों की बहु-बिंदु वसूली से बचा जा सकेगा और अकेले संसद द्वारा कर की एक समान दर को बढ़ावा मिलेगा।

39. इस संदर्भ में अनुच्छेद 248 और सूची I में अवशिष्ट प्रविष्टि संख्या 97 का संदर्भ भी दिया जाना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से यह बताता है कि कोई अन्य मामला जो सूची II या सूची III में शामिल नहीं है, साथ ही कोई कर जो इन सूचियों में उल्लिखित नहीं है, वह संघ सूची के अंतर्गत होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अवशिष्ट शक्ति भारत संघ में निहित है। पूरी तरह से तर्क के लिए मान लें कि माल की खेप पर कराधान की स्पष्ट शक्ति के सहायक, पूरक और परिणामी मामलों से संबंधित प्रविष्टि संख्या 92-बी के आसपास एक ग्रे या पेनुमब्रल क्षेत्र है, तो किसी को विधायी प्रविष्टियों के व्यापक आयाम के पवित्र नियम के साथ-साथ भारत संघ में अंतिम अवशिष्ट शक्ति के कारण भी इसे भारत संघ को आवंटित करने का झुकाव किया जाना चाहिए।

40. अंत में, ऐसा प्रतीत होता है कि अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान निर्माताओं द्वारा पूरे भारत में अपनी विभिन्न शाखाओं में माल की खेप भेजना एक राष्ट्रीय स्तर की विशेषता है। अनुच्छेद 269 की योजना, जैसा कि खंड (1) के उप-खंड (सी) से (एच) से स्पष्ट है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकृति के करों को संघ द्वारा लगाए और एकत्र किए जाने की कल्पना की गई है। नतीजतन, पूरे देश में अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की खेप पर कर उपयुक्त रूप से इस वर्ग में आएंगे। समान रूप से, कुछ हद तक तनावपूर्ण केंद्र-राज्य संबंधों के क्षेत्र में भी, ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि ऐसे करों का उद्ग्रहण और संग्रह भारत संघ द्वारा किया जाता है, लेकिन अंततः उन्हें राज्यों को ही सौंपा जाना है। ऐसा नहीं है कि राज्य किसी भी तरह से अपने क्षेत्रों से मुख्य या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने वाले सभी

राजस्व से वंचित हैं, लेकिन एकरूपता के कारणों से, कर लगाने या एकत्र करने की शक्ति भारत सरकार में निहित है, लेकिन इसका लाभ अनुच्छेद 269 के खंड (2) में दिए गए तरीके से राज्यों को ही मिलता है।

41. अंत में निष्कर्ष निकालने के लिए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि केवल "अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री के अलावा किसी अन्य तरीके से राज्य के बाहर किसी स्थान पर माल भेजना"; जैसा कि अनुच्छेद 269(1)(h) और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि संख्या 92-बी में निर्दिष्ट, "अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की खेप या तो इसे बनाने वाले व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को" के समानार्थी है या किसी भी मामले में इसके दायरे में शामिल है। नतीजतन, माल और उसके सहायक या सहायक मामलों के ऐसे प्रेषण या खेप पर बिक्री या खरीद कर लगाना, राज्य विधानसभाओं की अपेक्षा पूर्ण रूप से संसद की विशेष विधायी क्षमता के भीतर होगा।

42. एक बार ऐसा होने पर, यह साबित है कि जहां तक अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान राज्य के बाहर माल की खेप पर खरीद कर लगाने का प्रावधान है, वह हरियाणा राज्य की विधायी क्षमता से परे है और इसलिए, शून्य और निष्क्रिय है। अधिनियम की धारा 9(1)(b) में अधिनियम संख्या 3 of 1983 की धारा 3 द्वारा किया गया संशोधन इस प्रकार असंवैधानिक है और इसे रद्द किया जाता है। एक आवश्यक परिणाम के रूप में, अधिसूचना की पूर्वव्यापी मान्यता, अनुलग्नक पी/2 और उसके तहत की गई सभी कार्रवाइयों की परिणामी मान्यता को समान रूप से रद्द करना होगा। उपर्युक्त शर्तों के तहत रिट याचिकाओं की अनुमति दी जाती है, लेकिन इसमें शामिल मुद्दों की कठिन जटिलता को देखते हुए, पक्षकारों को उनका खर्चा स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

43. इससे पहले कि मैं इस निर्णय से अलग होऊं, मैं यह नोटिस करने के लिए मजबूर महसूस करता हूँ कि रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से, विवादित प्रावधानों के साथ-साथ जिन कार्रवाइयों को अधिकृत करना चाहा गया था, उन पर कई अन्य आधारों पर भी हमला किया गया था। इसमें अनुच्छेद 301 से 305 के तहत व्यापार, वाणिज्य और अंतर-व्यवसाय की स्वतंत्रता के आधार पर चुनौती और समान रूप से कर का भुगतान करने में विफलता के लिए दंड लगाने और कथित कर पर ब्याज के दावे को चुनौती शामिल

थी। हालाँकि, मेरे पूर्वोक्त निष्कर्ष के मद्देनजर- कि प्रत्यर्थी-हरियाणा राज्य के पास विवादित संशोधन पारित करने के लिए विधायी क्षमता का अभाव है, जिसे अपास्त कर दिया गया है, उपर्युक्त मुद्दे पूरी तरह से अकादमिक हो गए हैं। इसलिए, मैं इस पर कोई भी राय देने से बचूंगा।

अस्वीकरण :-

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय याचिकाकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

ऋषभ अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा।
UID NO.:- HR0675